राज्य लोक सेवा आयोगों के अध्यक्षों के 23 वें राष्ट्रीय सम्मेलन में 15 एवं 16 अप्रैल, 2022 को केरल में माननीय अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग, डॉ. मनोज सोनी का भाषण

****

केरल के माननीय राज्यपाल, श्री आरिफ मोहम्मद खान

केरल लोक सेवा आयोग के माननीय अध्यक्ष, एडवोकेट एम.के.सकीर

स्थायी समिति के माननीय सदस्यगण

राज्य लोक सेवा आयोगों के माननीय अध्यक्ष एवं सदस्य

विशिष्ट अतिथियों, देवियों एवं सज्जनों

1.0 यह मेरे लिए वास्तव में खुशी की बात है कि मैं यहां 'भगवान के अपने देश' एवं ऐतिहासिक शहर तिरुअनन्तपुरम में उपस्थित हूं। राज्य लोक सेवा आयोगों के अध्यक्षों के 23 वें राष्ट्रीय सम्मेलन की इस गरिमामयी सभा को सम्बोधित करना, मैं अपने लिए एक सौभाग्य की बात मानता हूं।

2.0 इस सम्मेलन की मेजबानी करने, हार्दिक रूप से आमंत्रित करने और इतना भव्य एवं शालीन आतिथ्य प्रदान करने के लिए, मैं केरल लोक सेवा आयोग के माननीय अध्यक्ष एवं सदस्यगणों का बहुत आभारी हूं।

3.0 हम इस महत्वपूर्ण सम्मेलन के लिए ऐसे दिनों में मिल रहे हैं, जो उत्सव से भरपूर और अत्यन्त राष्ट्रीय महत्व के हैं। मैं भारत के महान सपूतों में से एक और भारत के संविधान संस्थापकों में से एक बाबासाहेब डॉ. बी.आर. अम्बेडकर को श्रद्धांजलि देता हूं। मैं आप सभी को कल मनाई गई वैसाखी के त्योहार और आज मनाए जा रहे गुड फ्राइडे की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं।

4.0 वास्तव में यह एक सुखद संयोग ही है कि यह राष्ट्रीय सम्मेलन बाबा साहेब अम्बेडकर की 132वीं जयंती के तुरन्त बाद आयोजित किया जा रहा है। जैसा कि कोई संविधान सभा की बहसों का अध्ययन करता है तो यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रारूप समिति के सदस्यों और विशेष रूप से इसके अध्यक्ष डॉ. बी.आर. अम्बेडकर ने लोक सेवा आयोगों पर अनुच्छेदों का प्रारूप तैयार करते समय अन्य देशों के समृद्ध अनुभव से लाभ लेने का प्रयास किया था।

5.0 इस ऐतिहासिक अवसर पर जब हमारा देश स्वतन्त्रता की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है तो यह उपयुक्त और प्रासंगिक, दोनों होगा कि संविधान सभा की बहसों का पुन: अध्ययन किया जाए और विशेष रूप से उन अनुच्छेदों का जो लोक सेवा आयोगों के बारे में हैं। संविधान सभा की

बहसों पर शासकीय प्रकाशित खण्ड/संस्करण हमारे संविधान निर्माताओं के चिंतन की बहुमूल्य अंतर्दृष्टि को प्रदर्शित करते हैं, विशेष रूप से स्वतन्त्रता के उपरांत भारत में सिविल सेवा की निरंतता, भूमिका और संगठन के बारे में सरदार बल्लभ भाई पटेल का चिंतन । यह सर्वाधिक उपयुक्त समय भी है कि हम सिविल सेवा और भारत में लोक सेवा आयोगों की भूमिका के बारे में इस विचार के साथ भविष्यवादी दृष्टिकोण अपनाएं कि क्रमश: राष्ट्र की सेवा में और उनके संवैधानिक अधिदेश के निर्वहन में हम उनको कैसे और अधिक समर्थ बनाएं।

6.0 हमारे सामने आज सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक उच्चतम कोटि की निपुणता, सत्यनिष्ठा और विश्वसनीयता के साथ सरकार के लिए उचित मानव संसाधन की संस्तुति के लिए भर्ती प्रक्रिया आयोजित करना है।

7.0 मुझे, श्रीमान फाइनर जो सिविल सेवा पर मैकडोनेल आयोग के एक सदस्य थे और लोक सेवा आयोग के माध्यम से भर्ती के बारे में उनके विचारों की याद आती है। श्रीमान फाइनर ने कहा था, "सिविल सेवा आयोग सच्ची निपुणता का एक संरक्षक है और ऐसी योग्यता के परीक्षण की नई-नई विधियों की सतत खोज में रहता है, जो स्वयं को स्वत: प्रस्तुत करती है। इसकी विश्वसनीयता उम्मीदवार को यह सम्पूर्ण आश्वासन देती है कि यदि वह सेवा में प्रवेश करता है तो यह केवल उसकी योग्यता के

कारण है और यदि वह असफल रहता है तो यह केवल इस कारण है कि वह अभी सफलता के मानक तक नहीं पहुंच पाया है।"

8.0 सिविल सेवाओं पर मैकडोनेल आयोग के एक अन्य गणमान्य सदस्य, श्रीमान हैरोल्ड डी. स्मिथ ने भर्ती प्रक्रिया के मूल तत्व को इन शब्दों में परिभाषित किया है: "लोकतंत्र में लोक प्रशासक को अपने सम्पूर्ण कौशल, अपने विवेक का प्रयोग और अपनी समस्त प्रतिभा को सरकार के कार्यों के निर्वहन में लगाना होता है। सिविल सेवा आयोग का यह कर्तव्य है कि सिविल कार्यों के नियोजन के लिए ऐसी प्रतिभाओं को चुना जाए।"

9.0 लोक सेवा आयोग के बारे में अनुच्छेदों से संबंधित संविधान सभा की बहसों के उत्कृष्ट प्रत्युत्तर के दौरान, डॉ. अम्बेडकर ने लोक सेवा आयोगों के प्रकार्यों का स्पष्ट उल्लेख भी किया था। उन्होंने कहा था, "लोक सेवा आयोग का कार्य उन व्यक्तियों को चुनना है **जो लोक सेवा के लिए उपयुक्त हों।"**

10.0 यह हम सभी के लिए अत्यन्त गर्व की बात है कि संघ लोक सेवा आयोग, जो अपने स्वच्छ, गौरवशाली और प्रगतिशील अस्तित्व की 2025-26 में शताब्दी मनाने जा रहा है, ने पिछले 100 वर्ष के इतिहास के उतार-चढ़ाव में न केवल अपने आप को बनाए रखा, बल्कि संघटित

रूप से इस दौरान भारत के सम्माजनक और अत्यन्त विश्वसनीय संस्थानों में से एक के रूप में अपने संवैधानिक कर्तव्यों और शक्तियों के परिश्रमपूर्वक निर्वहन में स्वयं को विकसित भी किया जैसा कि भारत के महान संविधान निर्माताओं ने परिकल्पना की थी।

11.0 हम सभी ने पिछले कुछ वर्षों के दौरान अभूतपूर्व चुनौतियों का सामना किया है और उन चुनौतियों का समाधान करने में सफल रहे हैं। संघ लोक सेवा आयोग ने भी इन चुनौतियों का डटकर सामना किया है और इस मुश्किल दौर से बुद्धिमत्ता, साहस और दक्षता का प्रयोग करते हुए बाहर आए हैं। इस टीम भावना के प्रयास के परिणामस्वरूप हमें आशा है कि हम इस वर्ष के मध्य तक अपनी मूल समय सारिणी पुन: प्राप्त कर लेंगे। मुझे विश्वास है कि सभी लोक सेवा आयोग अपनी-अपनी समय सारिणी पुन: प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम कर रहे होंगे।

12.0 मुझे आशा है कि आगामी एक वर्ष में हम आपके सहयोग और सामूहिक बुद्धिमत्ता से मिलकर, लोक सेवा आयोगों के क्षमता संवर्धन के सभी कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक आयोजित करने में कामयाब होंगे जिन्हें पिछले कुछ वर्षों में महामारी के कारण आयोजित नहीं किया जा सका है।

13.0 अन्त में, जैसा कि मैं मानता हूं और इस कमरे में उपस्थित हम सभी समझते हैं कि महान संस्थागत अनुभव और ज्ञान के इस समद्ध कोष को हम साझा करते हैं जिसे भारत के संविधान में अक्षरश: प्रतिष्ठापित

हमारे अधिदेश की पूर्ति के लिए सार्थक रूप से इसे हम उपयोग में ला सकते हैं। अपनी ओर से संघ लोक सेवा आयोग इस राष्ट्रीय सम्मेलन में लिए गए निर्णयों पर अनुवर्ती कार्रवाई करने और उनको पूरा करने के लिए अपना यथासंभव सहयोग एवं समर्थन प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस सम्मेलन में विचार-विमर्श के लिए आपके बहुमूल्य सुझावों और सहयोग की मुझे प्रतीक्षा है। मैं राज्य लोक सेवा आयोगों के 23 वें राष्ट्रीय सम्मेलन की सम्पूर्ण सफलता के लिए मंगलकामना करता हूं।

आप सभी को धन्यवाद

"जय हिंद"